

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान  
 मरुधरकंवर पुत्री दीपसिंह जाति राजपूत बगाम दीपसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत वगै.  
 सा. खोरण्डी तह. कुचामन सा. खोरण्डी तह. कुचामन

किस्म मुकदमा : 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 177/2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ |
|-------------|---|---|
| 13.10.2023  | <p>वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणराम जाट ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.11.2023 को पेश हो।</p> <p>20/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 20/2/24 को पेश हो।</p> <p>20/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 28/4/24 को पेश हो।</p> <p>28/4/24 पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्तवा होकर दिनांक 28/5/24 को पेश हो।</p> <p>28/5/24 पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इत्तवा होकर दिनांक 11/7/24 को पेश हो।</p> <p>31/5/24 पत्रावली वादीया द्वारा प्राथम्य प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई वादीया ने प्राथम्य प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस पत्रावली में पक्षकारान के मध्य वाजीनामा ही चुका है इसलिये पत्रावली आज ही तलब कर प्रारिपे विद्रोह खालि किया जावे। अतः वादीया के निवेदन पर वादीया का वाद पत्र अरिपे विद्रोह खालि किया जाता है पत्रावली के तलब श्रुत होकर मन्बर से कम ही व दालिखत हो</p> | <p>(विश्वामित्र मीना)<br/>उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>   |

उपखण्ड अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुचामन)